परिशिष्ट ''अ''

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1117
माननीय विधायक श्री देवेन्द्र पटेल

(ख) जी हाँ । थाना बागसेवनिया भोपाल के पुलिस अधिकारियों द्वारा आलोच्य प्रकरण में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिनके नाम निम्नानुसार हैः–

1. धीरेन्द्र वर्मा पिता श्री नारायण सिंह वर्मा, उम्र 22 साल, निवासी एम.पी.ई.बी. क्वाटर अरविन्द विहार, बागसेवनिया, भोपाल ।
2. विजय पवार उर्फ भोटा पिता सुन्दरलाल पवार, उम्र 22 साल, निवासी एम.आई.जी 306 अरविन्द विहार, बागमुगलिया, भोपाल।

उक्त दोनो आरोपियों पर अपराध क्र. 133/10, दिनांक 12.03.2010 धारा 392 भा.द.वि. के अतिरिक्त अन्य कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है।

हाँ, आरोपियों की शिनाख्तगी केन्द्रीय जेल भोपाल में कराई गई थी। आरोपियों द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया था।

आरोपी विजय पवार एवं धीरेन्द्र वर्मा को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ा गया है। दोनों आरोपीगण को माननीय न्यायालय भोपाल द्वारा दिनांक 14.07.2011 के आदेश में उक्त अपराध में दोषमुक्त किया गया है।

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

14.6
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट "ब"

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1117
माननीय विधायक श्री देवेन्द्र पटेल

(ग) जी हाँ। प्रश्नांकित प्रकरण में गिरफ्तार अपराधियों द्वारा छीना गया माल बरामद नहीं हुआ था, प्रकरण मे आरोपीगणों द्वारा सोने की चेन इन्दौर सर्राफा बाजार मे बेचना बताया गया तथा अपराधियों द्वारा इन्दौर सर्राफा बाजार की दुकान भूल जाने संबंधी कथन कायमीकर्ता/विवेचक निरीक्षक गोपाल सिंह ठाकुर द्वारा लेखबद्ध किये गये थे।

तत्समय प्रकरण की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम निम्नानुसार है:– निरीक्षक गोपाल सिंह ठाकुर, थाना बागसेवनिया, भोपाल।

प्रकरण में विवेचना उपरांत दिनांक 17.05.2010 को चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2011 को आरोपियों को दोषमुक्त कर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।

प्रकरण में अपराध का अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश करते समय तत्समय विवेचक निरीक्षक गोपाल सिंह ठाकुर द्वारा फरियादिया को मौखिक अवगत कराया गया था।

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

14.6.24
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट "स"

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1117
माननीय विधायक श्री देवेन्द्र पटेल

(घ) जी नहीं। पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा माल बरामदगी का पूरा प्रयास किया गया था किंतु आरोपियान द्वारा सोने की चेन इन्दौर सर्राफा बाजार में बेचना बताया लेकिन सर्राफा दुकान भूल जाने से प्रकरण में माल बरामद नहीं किया जा सका, इसलिये प्रकरण में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी होना या उनका किसी तरह से मिलीभगत होना नहीं पाया गया।

प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने पश्चात आरोपियों के विरूद्ध चालान क्रमांक 179/10 दिनांक 15.05.2010 तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण में चालान प्रस्तुत करने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा विचारण किया गया। विचारण के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषमुक्त कर प्रकरण समाप्त कर दिया है, अतः प्रकरण में आगामी जांच की जाना विधि सम्मत नहीं है।

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

14.6.24
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner